HRA En USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 953]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2011/ज्येष्ठ 2, 1933

No. 9531

NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2011/JYAISTHA 2, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2011

का.आ. 1152(अ).—केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 की उप-धारा (7) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उप-धारा (3) के खंड (क) के सीमित उद्देश्यों हेतु सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 3 के खंड (1) के तहत निगमित सीमित देयता भागीदारी, जो कि एक कॉर्पोरेट निकाय है, को उक्त खंड के उद्देश्यों हेतु, विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 2/2/2011-सीएल-5]

जे. एन. टिक्कू, संयुक्त निदेशक

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1883 दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2011

S.O. 1152(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (7) of Section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby specifies, for the purpose of the said clause, the Limited Liability Partnership, a body corporate, incorporated under clause (1) of Section 3 of Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), for the limited purpose of clause (a) of sub-seciton (3) of Section 226 of the Companies Act, 1956.

[F. No. 2/2/2011-CL. V]

J. N. TIKKU, Jt. Director

Note:—The Principal notification was published vide number G.S.R. 1883 dated the 20th December, 1965.

1853 GI/2011